न्यायालय : सुश्री मधुलिका मुले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

कमांक /272/ 2026 जिला गुना, दिनांक 20.02.2026

— :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह मार्च+अप्रैल 2026 ::—

माह मार्च+अप्रैल 2026 के अधोलिखित सार्वजनिक अवकाशों में गुना जिला एवं आरोन, राघौगढ, चांचौड़ा तहसील न्यायिक स्थापना पर अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमांड ड्यूटी नियत की जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवस को **दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे** के मध्य रिमांड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

— ::जिला न्यायिक स्थापना—गुना ::—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह मार्च 2026	माह अप्रैल 2026
1	श्री डालचंद	03-03-2026 04-03-2026	03-04-2026
2	श्री सुरेश बारगीया	07-03-2026 08-03-2026	04-04-2026
3	श्री चेतन बजाड़	15-03-2026	05-04-2026
4	श्री राजकुमार तोरनिया	19-03-2026 20-03-2026	12-04-2026
5	श्रीमती श्रुति चौहान	01-03-2026 31-03-2026	14-04-2026
6	श्री यश दुबे	27-03-2026 29-03-2026	19-04-2026
7	सुश्री आयुषी मित्तल	21-03-2026 22-03-2026	26-04-2026

– ::तहसील न्यायिक स्थापना–आरोन ::–

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह मार्च 2026	माह अप्रैल 2026
1	श्री बुदे सिंह सोलंकी	01-03-2026 03-03-2026 04-03-2026 07-03-2026 08-03-2026 15-03-2026 19-03-2026 20-03-2026 21-03-2026 22-03-2026 27-03-2026 29-03-2026 31-03-2026	03-04-2026 04-04-2026 05-04-2026 12-04-2026 14-04-2026 19-04-2026 26-04-2026

– ::तहसील न्यायिक स्थापना–राधौगढ़ ::–

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह मार्च 2026	माह अप्रैल 2026
1	श्री संजीव पिपलादिया	01-03-2026 03-03-2026 04-03-2026 31-03-2026	03-04-2026 04-04-2026 05-04-2026
2	श्री आशीष शर्मा	07-03-2026 08-03-2026 15-03-2026 27-03-2026 29-03-2026	12-04-2026 14-04-2026
3	श्री रवि तंवर	19-03-2026 20-03-2026 21-03-2026 22-03-2026	19-04-2026 26-04-2026

– ::तहसील न्यायिक स्थापना–चांचौड़ा ::–

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह मार्च 2026	माह अप्रैल 2026
1	सुश्री प्रियम सेन	15-03-2026 19-03-2026 20-03-2026 21-03-2026 22-03-2026 29-03-2026 31-03-2026	03-04-2026 12-04-2026 26-04-2026
2	श्रीमती डिम्पल कश्यप	01-03-2026 03-03-2026 04-03-2026 07-03-2026 08-03-2026 27-03-2026	04-04-2026 05-04-2026 14-04-2026 19-04-2026

सामान्य नोट–

1– माह **मार्च+अप्रैल 2026** के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त अन्य किसी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्ति मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में गुना, चांचौड़ा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्युटी का निष्पादन **माह मार्च एवं अप्रैल 2026** कमशः **श्रीमती श्रुति चौहान/श्री संजीव पिपलादिया/श्रीमती डिम्पल कश्यप** द्वारा किया जावेगा।

2– आरोन स्थापना पर पदस्थ मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

3– उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड डयूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड डयूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

4– सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड डयूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5– सार्वजनिक अवकाश दिवस में रिमाण्ड डयूटी के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्य का संपादन किया जाता है। अतः रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक कार्य हेतु गरिमा अनुरूप उचित गणवेश रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान धारित करेंगे।

6– समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफतारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड डयूटी हेतु नियत समय 03.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड डयूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड डयूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड डयूटी करने वाले मजिस्टेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विशेष :– **यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।**

(कु. मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

पृ.क.:– 8 /2026

गुना, दिनांक 20.02.2026

प्रतिलिपि :– (ईमेल–मेसेज द्वारा)

1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3- जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
6- पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बावत्।
7- जेल अधीक्षक जिला गुना, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई–मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।

अनुमोदित

(कु. मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)